रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233371
CG-DL-E-12022022-233371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
No. 105] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 107(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उपधारा (3) , धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 12 में, उपनियम (1क) के बाद, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1ख) धारा 135 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आने वाली प्रत्येक कंपनी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2020-2021 और उससे आगे प्ररूप सीएसआर-2 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एक रिपोर्ट प्ररूप एओसी-4 या एओसी-4 एक्सबीआरएल या एओसी-4-एनबीएफसी (इंडएएस), जैसा भी मामला हो, के परिशिष्ट के रूप में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी।

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2020-2021) के लिए प्ररूप सीएसआर-2 को, 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अलग से प्ररूप एओसी-4 या एओसी-4एक्सबीआरएल या एओसी-4 एनबीएफसी (इंडएएस), जैसा भी मामला हो, फाइल करने के बाद अलग से फाइल किया जाएगा।”

3. उक्त नियमों में, उपाबंध में, प्ररूप एओसी-4 सीएफएस के बाद, निम्नलिखित प्ररूप को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सीएसआर-2 [कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12 के उपनियम (ख) के अनुसार]	 सत्यमेव जयते	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट

प्ररूप की भाषा *अंग्रेजी *हिंदी

प्ररूप भरने के निदेश किट देखें।

1. *(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) पूर्व पूरित
 *(ख) कंपनी का नाम
 *(ग) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
 *(घ) कंपनी की ई-मेल आईडी

2. (क) *वित्तीय वर्ष जिससे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ब्यौरा संबंधित है:
 (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष) तक
 (ख) *कंपनी द्वारा फाइल एओसी-4/एओसी-4एक्सबीआरएल/एओसी-4 एनबीएफसी का एसआरएन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

3. (i) *निवल मूल्य
 (ii) *टर्नओवर
 (iii) *निवल लाभ
 (iv) सीएसआर प्रयोज्यता को उत्प्रेरित करने वाले मानदंड

4. (क)(i) क्या सीएसआर समिति का गठन किया गया है Oहां Oनहीं Oलागू नहीं
 (ii) सीएसआर समिति बनाने वाले निदेशकों की संख्या
 (iii) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

क्र.सं.	**डीआईएन**	**निदेशक का नाम**	**वर्ग**	**वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया**

(ख)(i) *क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है oहां oनहीं

(ii) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें

(iii) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित को प्रकट किया गया है:

IndiaCode

- सीएसआर समिति की संरचना oहां oनहीं oलागू नहीं
- सीएसआर नीति oहां oनहीं
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं oहां oनहीं

(ग)*(i) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया है, यदि लागू हो

oहां oनहीं oलागू नहीं

(ii) *यदि हां, तो क्या बोर्ड की रिपोर्ट में इसे प्रकट किया गया है oहां oनहीं

(iii) वेब-लिंक प्रदान करें, यदि कोई हो

(घ)(i)*क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसरण में कोई राशि समायोजन के लिए उपलब्ध है oहां oनहीं

(ii) यदि हां, तो ब्यौरा प्रदान करें:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**मुजरा के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष में मुजरा की राशि, यदि कोई हो (रुपये में)**	**शेष राशि (रुपये में)**
1	वि.व.-1 (वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तारीख)			
2	वि.व.-2 (वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तारीख)			
3	वि.व.-3 (वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तारीख)			
	कुल			

IndiaCode

5. (क) *क्या कंपनी अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि को पूरा कर लिया है
*हां *नहीं

(ख) यदि नहीं, तो निगमन के बाद से पूरा हुए वित्तीय वर्षों की संख्या प्रदान करें

(ग)*पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ और अन्य विवरण:

क्र.सं.	**विवरण**	**राशि (रुपये में)**		
		वित्तीय वर्ष-1	**वित्त वर्ष-2**	**वित्तीय वर्ष-3**
1	कर देने से पूर्व लाभ			
2	धारा 198 . के अधीन परिकलित निवल लाभ			
3	सीएसआर नीति नियम 2014 के नियम 2(1)(ज) के अनुसार समायोजित कुल राशि			
4	धारा 135 के लिए कुल निवल लाभ (2-3)			

(घ)* धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ

6. (क)*धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2%

(ख)*सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो

(ग)*वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि, यदि कोई हो

(घ)*वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (6क+6ख+6ग)

7. (क)*क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि व्यय की गई है *हां *नहीं

(ख) यदि हां, तो व्यय की गई सीएसआर राशि:

- वर्तमान परियोजनाएं
- वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त
- दोनों (वर्तमान और वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त)

(i) वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
क्र. सं.	परियोजना आईडी	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (महीनों में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य	ज़िला				सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	नाम
1											
2											
3											
4											
5											
							कुल	XX			

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य की संख्या

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.सं.	अनुसूची VII में किए कार्यकलापों की सूची की मदें	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला			सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	नाम
1									
2									
3									
					कुल	XX			

(ग)* प्रशासनिक शिरोपरि में व्यय की गई राशि

(घ)*प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो

(ड.)*वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई राशि

IndiaCode

(च)*वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित राशि/(अधिक) व्ययित की गई {6(घ)-7(ड.)] वर्तमान परियोजनाओं के लिए अव्ययित)

(छ)*वित्तीय के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरण के लिए पात्र राशि धारा 135(6) के अनुसार वर्ष (समायोजन से पहले)

(ज)*अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि

वित्तीय वर्ष (यदि वित्तीय वर्ष के लिए कुल अव्ययित से अधिक है) वर्तमान परियोजनाओं के लिए अव्ययित)

8. वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के हस्तांतरण का विवरण:

(क)धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण

अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि	राशि वस्तुत: अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई	स्थानांतरण की तारीख	त्रुटि, यदि कोई हो

(ख)वित्तीय वर्ष के लिए धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण:

अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि	अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में मूल रूप से अंतरित राशि	स्थानांतरण की तारीख	त्रुटि, यदि कोई हो

9. * कारण निर्दिष्ट करें यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है:

.....

10. *क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों (22 जनवरी, 2021 के बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष) की कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में व्यय की गई है *हां *नहीं

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वर्षों) से संबंधित वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र.सं.	**पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष**	**धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)**	**धारा 135 (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)**	**धारा 135(5), यदि कोई हो, के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट के रूप में एक निधि को हस्तांतरित राशि**		**आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)**	**त्रुटि, यदि कोई हो**
					राशि (रुपये में)	**स्थानांतरण की तिथि**		
1	**वित्तीय वर्ष-1**							
2	वित्तीय वर्ष-2							
3	वित्तीय वर्ष-3							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

चल रही परियोजनाओं की संख्या

IndiaCode

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई थी	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/जारी
1							
2							
3							
4							

(ग)(i) क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष में कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू की गई है *हां *नहीं

(ii) यदि हां, तो सीएसआर राशि व्यय की गई:

- वर्तमान परियोजनाएं
- वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त
- दोनों (वर्तमान और वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त)

(iii) वित्तीय वर्ष में वर्तमान में नई सीएसआर परियोजना पर व्यय की गई राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
क्र.सं.	परियोजना आईडी	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (महीनों में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
						राज्य	ज़िला				सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	नाम
1												
2												
3												
4												
5												
								कुल	XX			

(iv) वित्तीय वर्ष में वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य नई व्यय की गई राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य की संख्या

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
					राज्य	ज़िला			सीएसआर	नाम

IndiaCode

									रजिस्ट्रीकरण संख्या	
1										
2										
3										
						कुल	XX			

11. क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में व्यय की गई है
*हां *नहीं

सीएसआर परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्रमांक	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका	
					राज्य	ज़िला			सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	नाम
1									1	
2									2	
3									3	
						कुल	XX			

12. *क्या वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए सीएसआर के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति निर्मित या अर्जित की गई है
*हां *नहीं

यदि हां, निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार निर्मित या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	रजिस्ट्रीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	रजिस्ट्रीकृत पता
			कुल	XXXX			

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी)

संलग्न

संलग्नों की सूची

1. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो संलग्न करें

IndiaCode

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या द्वारा तारीख द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में इस मामले का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

13. इस प्ररूप में और इसके संलग्नक में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना सामग्री को छुपाया या छुपाया नहीं गया है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।

14. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

निदेशक द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है।

*डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित किया जाना है डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक का डीआईएन

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः धोखाधड़ी, मिथ्या और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से तथा फाइल करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में रख दिया गया है।

सेव प्ररूप चैक करें परियोजना आईडी बनाएं प्रस्तुत करें

.....”।

[फा.सं.1/19/2013–सीएल.V–भाग–III]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 239 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723 (अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2014, सा.का.नि. 37 (अ) तारीख 16 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 4 सितंबर, 2015, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 1371 (अ), तारीख 7 नवंबर, 2017, सा.का.नि. 191 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 803 (अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2019, सा.का.नि. 60 (अ), तारीख 30 जनवरी, 2020 और सा.का.नि. 205(अ), तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

G.S.R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(1B) Every company covered under the provisions of sub-section (1) to section 135 shall furnish a report on Corporate Social Responsibility in Form CSR-2 to the Registrar for the preceding financial year (2020-2021) and onwards as an addendum to Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be:

Provided that for the preceding financial year (2020-2021), Form CSR-2 shall be filed separately on or before 31st March 2022, after filing Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be.”.

3. In the said rules, in the Annexure, after Form AOC-4 CFS, the following form shall be inserted, namely:-

IndiaCode

CSR-2
[Pursuant to sub-rule (1B) of Rule 12 of Companies (Accounts) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Report on Corporate Soc Responsibility (CSR)

Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

1. *(a) Corporate Identity Number (CIN) of the company **Pre-fill**

*(b) Name of the company

*(c) Address of the registered office of the company

*(d) email ID of the company

2. (a) *Financial Year to which the Corporate Social Responsibility details pertain:
From (DD/MM/YYYY) To DD/MM/YYYY)

(b) *SRN of form AOC-4/ AoC-4 XBRL/ AoC-4 NBFC filed by the company for its standalone financial statements

3. (i) *Net Worth
(ii) *Turnover
(iii) *Net Profit

(iv) Criteria that triggered CSR applicability

4. (a)*(i)Whether CSR Committee has been constituted ○ Yes ○ No ○ Not Applicable

(ii) Number of directors composing CSR Committee
(iii) Number of meetings of CSR Committee held during the year

Sr. No.	DIN	Name of Director	Category	No. of meetings of CSR Committee attended during the year

(b)(i)* Whether the company has a website ○ Yes ○ No

(ii) If Yes, Provide web-link

(iii) Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

- Composition of CSR committee ○ Yes ○ No ○ N.A.
- CSR Policy ○ Yes ○ No
- CSR projects approved by the board ○ Yes ○ No

(c)* (i) Whether Impact assessment of CSR projects is carried out in pursuance of sub-rule (3) of Rule 8 of Companies (CSR Policy) Rules,2014, if applicable ○ Yes ○ No ○ Not Applicable

IndiaCode

(ii) *If Yes, whether the same has been disclosed in the Board Report ○ Yes ○ No

(iii) Provide web-link, if any

(d)(i)* Whether any amount is available for set off in pursuance of sub-rule (3) of Rule 7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014 ○ Yes ○ No

(ii) If yes, provide details:

S. No.	Financial Year	Amount available for set-off (in Rs.)	Amount set-off in the financial year, if any (in Rs)	Balance Amount (in Rs.)
1	FY-1 (Financial Year End Date)			
2	FY-2 (Financial Year End Date)			
3	FY-3 (Financial Year End Date)			
	Total			

5. (a)* Whether the company has completed the period of three financial years since its incorporation ○ Yes ○ No

(b) If no, then provide the number of financial years completed since incorporation

(c)* Net Profit & other details for the preceding financial years:

S. No.	Particulars	Amount (in Rs)		
		FY-1	FY-2	FY-3
1	Profit before tax			
2	Net Profit computed u/s 198			
3	Total amount adjusted as per rule 2(1)(h) of the CSR Policy Rules 2014			
4	Total Net Profit for section 135 (2-3)			

(d)* Average net profit of the company as per section 135(5)

6. (a)* 2% of Average net profit of the company as per section 135(5)

(b)* Surplus arising out of the CSR projects/ programs or activities of the previous financial year, if any

(c)* Amount required to be set off for the financial year, if any

(d)* Total CSR obligation for the financial year (6a+6b-6c)

7. (a)* Whether CSR amount for the financial year has been spent ○ Yes ○ No

(b) If yes, CSR amount has been spent against:
O Ongoing projects
O Other than ongoing projects
O Both (Ongoing and other than ongoing projects)

IndiaCode

(i) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Number of Ongoing Projects for the financial year

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
S. No.	**Project ID**	**Item from the list of activities in schedule VII**	**Name of the Project**	**Local Area (Yes/No)**	**Location of the Project**		**Project duration (in months)**	**Amount spent in the Financial Year (in Rs.)**	**Mode of Implementation - Direct (Yes/No)**	**Mode of Implementation - Through Implementing Agency**	
					State	**District**				**CSR Registration No.**	**Name**
1											
2											
3											
4											
5											
							Total	XX			

(ii) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

x Number of Other than Ongoing Projects for the financial year

1	2	3	4	5		6	7	8	
S. No.	**Item from the list of activities in schedule VII**	**Name of the Project**	**Local Area (Yes/No)**	**Location of the Project**		**Amount Spent in the Financial Year (in Rs.)**	**Mode of Implementation - Direct (Yes/No)**	**Mode of Implementation - Through Implementing Agency**	
				State	**District**			**CSR Registration No.**	**Name**
1									
2									
3									
					Total	XX			

(c)* Amount spent in Administrative Overheads

(d)* Amount spent on Impact Assessment, if applicable

(e)* Total Amount Spent for the Financial Year

(f)* Amount unspent/ (excess) spent for the Financial Year [6(d)-7(e)] unspent for Ongoing projects)

(g)* Amount eligible for transfer to Unspent CSR Account for the Financial Year as per Section 135(6) (before adjustments)

(h)* Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the Financial Year (if total unspent for the Financial Year is greater than unspent for Ongoing projects)

IndiaCode

8. Details of transfer of Unspent CSR amount for the financial year:

(a) Transfer to Unspent CSR account as per Section 135(6)

Amount to be transferred to Unspent CSR account	Amount actually transferred to Unspent CSR account	Date of Transfer	Deficiency, if any

(b) Transfer to Fund specified in Schedule VII as per second proviso to Section 135(5) for the Financial Year:

Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII	Amount actually transferred to Fund specified in Schedule VII	Date of Transfer	Deficiency, if any

9. *Specify the reason(s) if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5):

10. *Whether any unspent amount of preceding three financial years (financial year ending after 22nd January 2021) has been spent in the financial year

○ Yes ○ No

(a) Details of CSR amount spent in the financial year pertaining to three preceding financial year(s):

1	2	3	4	5	6		7	8
S. No.	**Preceding Financial Year(s)**	**Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in Rs.)**	**Balance Amount in Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs)**	**Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	**Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any**		**Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs)**	**Deficiency, if any**
					Amount (in Rs)	**Date of Transfer**		
1	**FY-1**							
2	FY-2							
3	FY-3							

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for **ongoing projects** of the preceding financial year(s):

Number of Ongoing Projects

IndiaCode

1	2	3	4	5	6	7	8
S. No.	**Project ID**	**Name of the Project**	**Financial Year in which the project was commenced**	**Amount spent for the project at the beginning of the Financial Year (In Rs)**	**Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	**Cumulative Amount Spent at the end of Financial Year (in Rs)**	**Status of the project - Completed /Ongoing**
1							
2							
3							
4							

(c) (i) Whether any new CSR project has been undertaken in the financial year from the Unspent amount pertaining to preceding three financial years : ○ Yes ○ No

(ii) If yes, nature of the new CSR Project(s) is/are :
O Ongoing project(s)
O Other than ongoing project(s)
O Both (Ongoing and other than ongoing projects)

(iii) Details of amount spent against new ongoing CSR project in the financial year :

Number of Ongoing Projects

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
S. No.	**Project ID**	**Financial year to which the new project pertains**	**Item from the list of activities in schedule VII**	**Name of the project**	**Local Area (Yes/No)**	**Location of the Project**		**Project duration (in months)**	**Amount spent in the Financial Year (in Rs.)**	**Mode of Implementation - Direct (Yes/No)**	**Mode of Implementation - Through Implementing Agency**	
						State	**District**				**CSR Registration No.**	**Name**
1												
2												
3												
4												
5												
								Total	XX			

(iv) Details of amount spent against new other than ongoing projects in the financial year:

Number of Other than Ongoing Projects

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S. No.	**Financial year to**	**Item from the list of**	**Name of the project**	**Local Area (Yes/ No)**	**Location of the Project**	**Amount Spent in the Financial**	**Mode of Implementation - Direct**	**Mode of Implementation - Through**

IndiaCode

	which the new project pertain	**activities in schedule VII**			**State**	**District**	**Year (in Rs.)**	**(Yes/No)**	**Implementing Agency**		
									CSR Registration No.	**Name**	
1											
2											
3											
						Total	XX				

11. Whether any unspent amount pertaining to FY 2014-15 to FY 2019-20 has been spent in the financial year

○ Yes ○ No

Details of amount spent against CSR projects in the financial year:

Number of CSR Projects

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
S. No.	Financial year to which the new project pertain	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the project	Local Area (Yes/ No)	Location of the Project		Amount Spent in the Financial Year (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	Mode Implementation - Through Implementing Ag	
					State	District			CSR Registration No.	Name
1										
2										
3										
						Total	XX			

12. *Whether any capital assets have been created or acquired through CSR spent in the financial year

○ Yes ○ No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through CSR spent in the financial year:

Sr. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary o registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
			Total	XXXX			

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

Attachments **List of Attachment**

1.Optional attachment(s), if any Attach

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number *

*Dated to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

13. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
14. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

To be digitally signed by one director.

*To be digitally signed by **DSC Box**

*Designation

*DIN of the director;

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eform has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode on the basis of statement of correctness given by the authorized person.

Save **Prescrutiny** **Generate Project ID** **Submit**

IndiaCode

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended vide notifications number G.S.R. 723(E), dated the 14th October, 2014, G.S.R. 37(E), dated the 16th January, 2015, G.S.R. 680(E), dated the 4th September, 2015, G.S.R. 742(E), dated the 27th July, 2016, G.S.R. 1371(E), dated the 7th November, 2017, G.S.R. 191(E), dated the 27th February, 2018, G.S.R. 725(E), dated the 31st July, 2018, G.S.R. 803 (E), dated the 22nd October, 2019, G.S.R. 60 (E), dated the 30th January, 2020 and G.S.R. 205(E), dated the 24th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.12 17:10:10 +05'30'